



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.06.2026

- आवेदक को साइबर ठग द्वारा कद्दू व्यापारी/विक्रेता बनकर धोखाधड़ी कर अपने खाते में ₹ 1,39,500/- ट्रान्सफर कराकर साइबर धोखाधड़ी की गयी थी।
- थाना राजपुर पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में कुल धनराशि ₹ 1,39,500/- को वापस कराया गया।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री अचिन्त्य कुमार पुत्र उदय नारायण, निवासी इटखुदा, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात का सब्जी का व्यापारी है। शिकायतकर्ता को अज्ञात मोबाइल नम्बर से फोन कॉल प्राप्त हुई, जिसमें साइबर ठग द्वारा स्वयं को कद्दू व्यापारी/ विक्रेता बताकर धोखाधड़ी /छलपूर्वक शिकायतकर्ता से विभिन्न बैंक खातों में कुल ₹ 1,39,500/- ट्रान्सफर कराकर साइबर धोखाधड़ी की गयी थी। जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 18.03.2026 को थाना राजपुर पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क राजपुर) जनपद कानपुर देहात पर की गयी थी। जिस पर थाना राजपुर पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता की कटी हुयी कुल धनराशि ₹ 1,39,500/- रूपये को दिनांक 19.06.2026 को शिकायतकर्ता के खाते में वापस करायी गयी है। पुलिस की कार्यवाही से शिकायतकर्ता ने थाना राजपुर पुलिस का धन्यवाद दिया।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹ 1,39,500/-

आनलाइन फ्राड/खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें। या www.cybercrime.gov.in शिकायत दर्ज करें।

धनराशि वापस कराने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप सिंह
2. का0 636 शिवप्रकाश पाल